



प्रेस नोट

प्रेस नोट सं0 215

थाना पनकी कमिश्नरेट कानपुर नगर



श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कानपुर नगर के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त पश्चिम महोदय व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिम महोदय के निर्देशन मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त पनकी कमिश्नरेट के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना पनकी कानपुर नगर व उ0नि0 कृष्ण कुमार, उ0नि0 विपिन कुमार, का0 5357 कुलदीप सिंह, का0 1383 बलराम सिंह व का0 230 विशाल, द्वारा दि0 08.07.2024 को मु0अ0सं0 121/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम थाना सचेण्डी कानपुर नगर से संबंधित 25000/- रूपये का इनामिया वाँछित अभियुक्त – 1.गुलाब शर्मा पुत्र कालू राम निवासी हनुमान नगर पाल बालाजी थाना राजीव गांधी नगर जनपद जोधपुर राज्य राजस्थान उम्र करीब 30 वर्ष संबंधित को मुखबिर खास की सूचना पर घटनास्थल भौती बाईपास अन्डर ब्रिज के नीचे थाना पनकी कानपुर नगर से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया ।

नाम पता अभियुक्त-

1. गुलाब शर्मा पुत्र कालू राम निवासी हनुमान नगर पाल बालाजी थाना राजीव गांधी नगर जनपद जोधपुर राज्य राजस्थान उम्र करीब 30 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 276/2023 धारा 302/328 भादवि थाना सचेण्डी कानपुर नगर
2. मु0अ0सं0 104/2023 धारा 15/29/60/8 एनडीपीएस एक्ट थाना सचेण्डी कानपुर नगर

गिरफ्तार करने वाली टीम क्रमशः-

1. प्रभारी निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह थाना पनकी कानपुर नगर
2. उ0नि0 कृष्ण कुमार थाना पनकी कानपुर नगर
3. उ0नि0 विपिन कुमार थाना पनकी कानपुर नगर
4. का0 5357 कुलदीप सिंह थाना पनकी कानपुर नगर
5. का0 1383 बलराम सिंह थाना पनकी कानपुर नगर
6. का0 230 विशाल थाना पनकी कानपुर नगर

प्रभारी निरीक्षक
थाना पनकी, कमिश्नरेट कानपुर नगर

